



प्रेस विज्ञप्ति



सराहनीय कार्य थाना ठठिया जनपद कन्नौज

जनपद कन्नौज के टॉप-10 अपराधियों की सूची में टॉप-1 अपराधी रह चुका कुंवरपाल बंजारा के गैंग का सक्रिय सदस्य शातिर चोर/नकबजन राजू बंजारा पुत्र फूल सिंह बंजारा नि0 रामनगर मौजा वस्ता थाना ठठिया जनपद कन्नौज गिरफ्तार, कब्जे से 400 ग्राम मादक पदार्थ/आला नकब/ नशीला पाउडर तथा एक अदद आला नकब /चाकू नाजायज बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज श्री प्रशान्त वर्मा के निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री विनोद कुमार के निकट पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय तिर्वा श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में ठठिया पुलिस द्वारा चैंकिंग के दौरान ग्राम जैतापुर मोड़ के पास से अभियुक्त राजू बंजारा पुत्र फूल सिंह बंजारा नि0 रामनगर मौजा वस्ता थाना ठठिया जनपद कन्नौज, 400 ग्राम मादक पदार्थ/आला नकब/नशीला पाउडर तथा एक अदद आला नकब/चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त जनपद कन्नौज के टॉप-10 कुंवरपाल बंजारा के गैंग का सक्रिय सदस्य है जिसके विरुद्ध थाना ठठिया एवं जनपद कन्नौज के विभिन्न थानों तथा गैर जनपद व गैर प्रान्तों में कुल आधा दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं।

➤ घटना/कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.12.2020 थानाध्यक्ष थाना ठठिया श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार थाना ठठिया मय हमराह पुलिस बल के साथ देख-रेख क्षेत्र शांति व्यवस्था एवं रात्रि चैंकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन तलाश वांछित एवं लुटेरों में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम जैतापुर मोड़ के पास से अभियुक्त राजू बंजारा पुत्र फूल सिंह बंजारा नि0 रामनगर मौजा वस्ता थाना ठठिया जनपद कन्नौज, 400 ग्राम मादक पदार्थ आला नकब/नशीला पाउडर तथा एक अदद आला नकब/चाकू नाजायज के साथ दिनांक 19.12.2020 को सुबह समय 05.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभि0 के कब्जे से उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ठठिया पर मु0अ0सं0 346/2020 धारा /21/22 NDPS ACT तथा मु0अ0सं0 347/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारशदा अभियुक्त-

राजू बंजारा पुत्र फूल सिंह बंजारा नि0 रामनगर मौजा वस्ता थाना ठठिया जनपद कन्नौज पूर्व में उक्त अभियुक्त द्वारा बतौर सह अभियुक्त कारित की गयी घटनाओं का विवरण-

- 1- दिनांक 08.01.2018 को ग्राम गोपाल सराय थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती स्थित मन्दिर में चोरी की थी जिसमें श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीता की मूर्तिया चोरी की थी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 09/2018 धारा 457/380 भादवि ताना सोनदा जनपद श्रावस्ती में पंजीकृत है।
- 2- दिनांक 23.05.2017 को रात्रि लगभग 2.00 बजे थाना बाबूपुरा जनपद कानपुर नगर क्षेत्र में श्री जंगली देवी मन्दिर के ताले तोड़कर मन्दिर में लगे हुए चांदी के छत्र एवं सोने की नथ चुरा लिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 190/17 धारा 380/457 भादवि थाना बाबूपुरा जनपद कानपुर नगर में पंजीकृत है।

- 3- दिनांक 30.11.2016 की रात्रि में कस्वा खितौला जनपद जबलपुर म0प्र0 में स्थित मन्दिर के गेट का ताला एवं साकर काट कर लक्ष्मीनारायन की दो मूर्ति राधाकृष्ण की दो मूर्ति, लड्डू गोपाल की एक मूर्ति एवं राम लक्ष्मण सीता की एक एक अष्टधातु की मूर्ति, दो छत्र चांदी के भगवान के द्वार मुकुट, दो जोड़ी कुण्डल, एक छड़ी एक बांसुरी चांदी की चोरी कर ले गये जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 320/2016 धारा 380/457 भादवि थाना खितौला जनपद जबलपुर म0प्र0 में पंजीकृत है।
- 4- दिनांक 14/15.12.2017 की रात्रि थाना दरगाह शरीफ बहराइच स्थित श्यामबाबा एवं सप्तीसती दरबार का ताला काटकर मन्दिर से हाथ दादी का चांदी का दो जोड़ी मुकुट सोने का एक, आरती चांदी की एक अखण्ड ज्योति चांदी की एक, गुमद चांदी का एक, चांदी का एक, बेला घण्टा एक, एक गिलास चांदी का, माला सोने की चार, हार सोने के तीन, लोटा चांदी का एक, कटोरी चांदी की दो, प्लेट चांदी की एक, चूड़ी सोने की दो, विछिया एवं पाजेब चांदी की एक चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 2805/17 धारा 457/380 भादवि थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
- 5- दिनांक 06.11.2016 की रात्रि थाना अकबरपुर कानपुर देहात स्थित नेहरु नगर में बाला जी मन्दिर के ताले काट कर मन्दिर से देवताओं के आभूषण, दो गदा चांदी के, दुर्गाजी की नथुनी व सात मुकुट चांदी के बड़े व एक छत्र चांदी का, दो पीतल के गदा तथा अष्टधातु के ठाकुर जी का सिंघासन व अन्य पूजन के कुछ बर्तन, चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 763/16 धारा 457/380 भादवि थाना अकबरपुर कानपुर देहात पंजीकृत है।
- 6- दिनांक 14.11.2017 की रात्रि वादी श्री अजय सिंह पुत्र मुलायम सिंह नि0 ग्राम टिकरा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज के घर में जीने से उतरकर घर से बक्सा निकाल कर दूर खेतों में जाकर तोड़कर उससे जेवर व नगदी चुरा लिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 831/17 धारा 380 भादवि थाना तिर्वा जनपद कन्नौज पंजीकृत है।
- 7- दिनांक 14.11.2017 की रात्रि वादी 8 देवेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र श्री स्व0 रामकिशोर नि0 ग्राम गांगेमऊ थाना तिर्वा कन्नौज के घर में छत से आंगन में कूंदकर उसके घर से बक्से निकालकर दूर खेतों में ले जाकर तोड़कर उनसे जेवर व नगदी चुरा लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 832/17 धारा 380 भादवि थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 352/13 धारा 452/354/504/506 भादवि थाना ठठिया
2. मु0अ0सं0 831/17 धारा 380 भादवि थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
3. मु0अ0सं0 832/17 धारा 380 भादवि थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
4. मु0अ0सं0 190/17 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाबूपुरा कानपुर नगर
5. मु0अ0सं0 763/16 धारा 457/380 भादवि थाना अकबरपुर कानपुर देहात
6. मु0अ0सं0 09/18 धारा 457/380 भादवि थाना सोनदा जनपद श्रावस्ती
7. मु0अ0सं0 2805/17 धारा 457/380 भादवि थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
8. मु0अ0सं0 320/16 धारा 380/457 भादवि थाना खितौला जनपद जबलपुर (म0प्र0)
9. मु0अ0सं0 7/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाइतू जनपद बाड़मेर राजस्थान
10. मु0अ0सं0 124/17 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिबाना जनपद बाड़मेर राजस्थान

बरामदगी का विवरण-

- 400 ग्राम मादक पदार्थ/नशीला पाउडर
- 01 अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

- 1- थानाध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह
- 2- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार
- 3- उ0नि0 श्री दीपकचन्द
- 4- का0 49 सुमेर
- 5- का0 1102 इरशाद मलिक
- 6- का0 चालक वेदपाल